रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906
No. 85] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

संख्या 37/1/15/84/डी.—राष्ट्रपति का दिनांक 28 जून, 1984 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक-सभा को सोमवार, 23 जुलाई, 1984

को 11.00 बजे म.पू. नई दिल्ली में अधिवेशन के लिये आमंत्रित करता हूं ।

28 जून, 1984

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति ।''

एन. एन. मेहरा, संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1984

No. 37|1|XV|84|T.—The following order by the President dated the 28th June, 1984, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 23rd July, 1984 at 11.00 A.M.

The 28th June, 1984.

ZAIL SINGH,
President."

N. N. MEHRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984